

राजस्थान सरकार  
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1130/2013/बूंदी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अडानी विलमार लि., बूंदी।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री पारस पाटनी,  
अधिकृत प्रतिनिधि,

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.10.2014

निर्णय


1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है तथा जो अपील संख्या-07/आर.एस.टी./2011-12 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति रु.95,040/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2002 को हमीरगढ़ रोड, भीलवाड़ा पर माल परिवहन के दौरान वाहन संख्या आर.जे.27/जी-3192 चैक करने पर वाहन में लदे माल "600 टिन रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल" जो कि उदयपुर से भीलवाड़ा के लिये परिवहनीत किया जा रहा था, के संबंध में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स नवनीत रोड लाईन्स, उदयपुर द्वारा जारी बिल्टी क्रमांक 1168 दिनांक 15.01.2002, मैसर्स अदानी विलमाल, अहमदाबाद द्वारा जारी प्रोफार्मा इन्वॉयस क्रमांक 10456 दिनांक 15.01.2002 जो कि प्रत्यर्थी के नाम जारी किया गया है, वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किये

लगातार.....2

गये । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर यह पाया कि व्यवहारी फर्म द्वारा जारी बिल व चालान माल से संबंधित दस्तावेजों के संलग्न नहीं हैं एवम् प्रस्तुत प्रोफार्मा इन्वॉयस में परिवहनीय माल को कर चुका घोषित किया गया है जबकि उक्त कर योग्य है। अतः अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन होना अवधारित कर, प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से श्री संजय अग्रवाल ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि त्रुटि वश कर योग्य माल को कर चुका अंकित किया गया है जिसमें करापवंचन की कोई मंशा नहीं है। इसके अतिरिक्त मूल बिल भी अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब व प्रस्तुत बिल को अस्वीकार कर, शास्ति आदेश दिनांक 18.01.2002 पारित किया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा तत्कालीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये आदेश दिनांक 09.09.2002 के स्वीकार किया गया । उक्त पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 28.08.2003 को प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर दिया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा कर बोर्ड के पारित आदेश दिनांक 28.08.2003 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत करने पर, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 सा.व.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम मै0 देव ट्रेडिंग कं0 के निर्णय दिनांक 05.09.07 द्वारा उक्त अपील प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया है । अतः उक्त निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 08.11.2012 के प्रकरण को सशक्त अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।



4. अपीलार्थी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा जो बिल क्रमांक 959 दिनांक 15.01.2002 अपीलार्थी के समक्ष नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया है, वह बाद में सोची हुयी युक्ति है। अग्रिम कथन किया कि अधिनियम की धारा 78(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप 18 ए प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अपने उक्त कथन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी.सी. 611 डी.पी. मेटल्स व अन्य तथा मै0 गुलजग इण्ड0 बनाम वा0क0अ0 18 टैक्स अपडेट 321 के निर्णय को संदर्भित कर इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डी.पी.मेटल्स प्रकरण में किन्हीं ऐसे दस्तावेजों को जिन्हें भूलवश(by mistake) जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था, के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में बाद में बिल प्रस्तुत किया गया है, जो 'भूल' की श्रेणी में नहीं आता। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 डी.पी.मेटल्स व गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। लिहाजा, इसे अपास्त कर, सशक्त अधिकारी के आदेश को बहाल करने की प्रार्थना की है।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील संख्या 5197/दिनांक 03.08.07 मै0 गुलजग इण्ड0 बनाम वा0क0अ0 का निर्णय उक्त प्रकरण की भिन्न तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण लागू नहीं होता है क्योंकि मै0 गुलजग इण्ड0 बनाम वा0क0अ0 खाली/अपूर्ण प्रपत्र 18 ए/सी से संबंधित है, जबकि प्रत्यर्थी के प्रकरण में घोषणा प्ररूप 18 ए से संबंधित बिन्दु विवादित ही नहीं है। कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा कर योग्य माल को कर चुका बताना व्यवसाय जगत में नया नहीं है। उक्त माल की दर कर सहित होने से कर चुका अंकित किया गया था जिसके संबंध में प्रथम जारी नोटिस की पालना में बिल क्रमांक 959 दिनांक 15.01.2002 प्रस्तुत किया गया था जिसे अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या या फर्जी घोषित नहीं किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में पारित अपीलीय आदेश को यथावत रख, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि वक्त जांच परिवहनीत माल के संबंध में बिल्टी, प्रोफार्मा इन्वॉयसेज अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत कर दिये गये थे। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, परिवहनीत माल को कर चुका अंकित करने के कारण शास्ति आरोपित की गयी है जबकि उक्त माल कर योग्य था जिसके संबंध में जारी नोटिस की पालना में बिल क्रमांक 959 दिनांक 15.01.2002 प्रस्तुत कर दिया गया था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रोफार्मा इन्वॉयस क्रमांक 1045 में प्रत्येक टिन जिसमें कर सम्मिलित है की कीमत रु. 528/- प्रति टिन के हिसाब से 600 टिन की कीमत अंकित की गयी है। यह सही है कि वक्त जांच बिल या चालान उपलब्ध नहीं था परन्तु जारी नोटिस की पालना में समस्त बिल व चालान प्रस्तुत कर दिये गये थे जिनमें भी माल की कीमत प्रत्येक टिन रु. 507/- कर रहित घोषित कर, कर सहित समस्त माल की कीमत रु. 3,16805/- घोषित की गयी है जो वक्त जांच प्रस्तुत प्रोफार्मा इन्वायस के अनुसार ही है। अब मुख्य प्रश्न जो निर्णयार्थ है कि क्या सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या व फर्जी अथवा बोगस साबित किया गया है या नहीं? उक्त बिन्दु पर निर्णयार्थ अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानों का अध्ययन किया जाना समिचीन होगा जो इस प्रकार है:-

**76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement. -**

(1).....

(2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-

(a).....

**(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;**


(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and

(e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

(3).....

(4).....




(6) The Incharge of the check-post or barrier or "*the officer authorized*" under sub-section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorized in writing by such owner or person Incharge of the goods a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of "*clause (b) of sub-section (2)*" or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

उपर्युक्त प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानानुसार धारा 76(2)(बी) के अनुसार विहित दस्तावेज नहीं होने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के "मिथ्या" और "कूटरचित" होने की दशा में ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में इन परिस्थितियों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण के संबंध में जारी नोटिस की पालना में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत विहित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जिन्हें सशक्त अधिकारी द्वारा फर्जी व बोगस प्रमाणित किये बिना केवल परिवहनीय माल को करमुक्त घोषित करने के आधार पर शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया है जबकि उपर्युक्तानुसार वर्णित माल को प्रति टिन जिसमें कर भी शामिल था अंकित किया गया था, माल को कर मुक्त घोषित नहीं किया गया है, जैसा कि जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत इन्वॉयस से स्पष्ट है जिसमें प्रति टिन की कीमत रु.507/- है जिसमें कर शामिल नहीं है। जहां तक वक्त जांच दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं करने का प्रश्न है, जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिये गये थे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी.मेटल्स 121 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत "चालान" से माल परिवहन को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत विहित दस्तावेजों से नहीं होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की गयी है, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) की अंकित शब्दावली "चालान्स" की व्याख्या बिल्टियों के विवरण के रूप में, जो विद्वान सशक्त अधिकारी द्वारा की गयी है, जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि यदि विधायिका की मंशा चालान्स को माल संबंधी दस्तावेजों के रूप में विहित नहीं करने की होती

तो "चालान्स" शब्द का अंकन अधिनियम की धारा 76(2)(बी) में माल संबंधी दस्तावेजों में नहीं किया जाता। व्यापार जगत में "चालान" शब्द का आशय गुड्स व्हीकल रिकॉर्ड के संबंध में चालान से कदापि नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा जो "चालान" बिल्टियों के विवरण के रूप में संधारित किया जाता है उसमें बिल्टी क्रमांक व बिल्टी का माल अंकित होता है जबकि पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा माल का पूर्ण विवरण व "कीमत" व क्रमांक आदि अंकित कर, चालान जारी किये जाते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य में मूल्य परिवर्धित कर प्रणाली दिनांक 01.04.2006 से लागू होने के पश्चात्, राज्यस्तरीय अखबारों में विभाग की ओर से उद्योग एवम् व्यापार को यह स्पष्ट किया गया है कि "चालान" से माल भेजने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में, विद्वान सशक्त अधिकारी की चालान शब्द की व्याख्या न्यायोचित नहीं होने के कारण, इस संबंध में अवधारित निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत "इन्चॉयस" व वक्त जांच के समय प्रस्तुत "चालान" में अंकित माल की कीमत व क्रमांक आदि में कोई अंतर पाया जाना प्रकट नहीं है, अतः इस संबंध में आरोपित शास्त्र अनुचित एवम् अविधिक है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
7.10.15  
( मदन लाल )  
सदस्य